न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 33/2020

सुरेन्द्र पुत्र नाथाराम जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनू।

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी
उनवानी सरकार बनाम सुरेन्द्र अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 05/2020 निर्णय दिनांक 13.07.2020

उपस्थिति :—

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता ————————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निर्णय — दिनांक 19.04.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुरेन्द्र मुकदमा नम्बर 05/2020 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है — कि अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये लेकिन इसी पत्रावली में एक अन्य आदेश बिना दिनांकित अपीलान्ट की भूमि में बोई गई फसल को कुर्क/नीलाम कर निलामी राशि बाद स्वीकृति राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने बाबत जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही किये बिना ही बिना दिनांक अंकित किये आपेक्षित आदेश पारित कर अपीलान्ट की भूमि में बोई गई फसल को कुर्क/नीलाम कर निलामी राशि बाद स्वीकृति राजकोष में जमा कराने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित जाकर अवैध और शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:40 IST
Reason: SelfAttested

आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये लेकिन इसी पत्रावली में एक अन्य आदेश बिना दिनांकित अपीलान्ट की भूमि में बोई गई फसल को कुर्क/नीलाम कर निलामी राशि बाद स्वीकृति राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने बाबत जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही किये बिना ही, बिना दिनांक अंकित किये आक्षेपित आदेश पारित कर अपीलान्ट की भूमि में बोई गई फसल को कुर्क/नीलाम कर निलामी राशि बाद स्वीकृति राजकोष में जमा कराने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किये गये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने मौजा ग्राम नाटास पटवार हल्का नाटास के हाल खसरा नम्बर 125 रकबा 4.50 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 104 रकबा 22.91 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नदी में अनाधिकृत रूप से गेहूं, जौ, चना तथा सरसों की फसल बुआई कर अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि की किस्म गैर मु0 नदी है जो आवंटन योग्य भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत समुचित अवसर दिया जाकर विविध प्रक्रिया के अन्तर्गत सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की [illegible] विवादित भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:40 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2020 उनवानी सरकार बनाम सुरेन्द्र मुकदमा नम्बर 05/2020 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.4.2022

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:40 IST
Reason: SelfAttested